प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.03.24

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फ्लैट व दुकान दिलाने के नाम पर धोखाधडी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02-08-2023 वादिया ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ चार्म्स कैसल सोसायटी राजनगर एक्स0 में फ्लैट दिलाने के नाम पर धोखाधडी कर कई बार में कुल 47,24,268 रुपये हड़प लिये है ओर न ही फ्लैट दिलाया है और न ही रुपये वापस कर रहे है, वादिया की तहरीर के आधार पर थाना नन्दग्राम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त घटना पर थाना नन्दग्राम पर तीन टीमों का गठन किया गया, धोखाधडी का मुख्य अपराधी लगातार अपनी पहचान छिपा कर उत्तराखंड में हरिद्वार व देहरादून में छिप कर रहा रहा था, जो कि दिनांक 02-03-2024 को किसी नयी ग्राहक को धोखा देने की नीयत से गाजियाबाद आया तभी मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गंधर्व चौधरी को एलटी कट से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त गंधर्व ने पूछताछ पर बताया कि मेरा राजनगर एक्स0 में प्रोप्रर्टी डीलर का ऑफिस था, जहां पर मैं लोगो को फ्लैट व मकान व दूकान दिलाने के नाम पर फर्जी व्रियय अग्रीमेन्ट तैयार कर एडवांस में पैसे ले लेता था, और कुछ पैसे अपने खाते में व कुछ पैसे अपने पार्टनर के खातो में डलवाकर लोगो के साथ धोखाधडी कर पुराना ऑफिस बंद कर नयी जगह अपना ऑफिस खोल लेता था। सोनिया रिश्ते में मेरे मामा की लडकी लगती है, इसलिए उसने मेरे उपर आसानी से विश्वास कर लिया और मैने उसके पैसे धोखाधडी कर हडप लिये थे।

अभियुक्त का नाम व पता-

गंधर्व चौधरी पुत्र अजय चौधरी निवासी R-123, महागुन पुरम सोसाइटी NH-24 थाना कविनगर गाजियाबाद व म.नं. 6 रघुवीर नगर हापुड़ नगर

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त गंधर्व चौधरी उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 03 अभियोग धोखाधडी के पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा हत्या कारित करने वाले 02 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार, 01 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी व मृतका का मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 01.03.2024 को, वादिया के द्वारा तहरीर दी गयी कि उसकी माताजी श्रीमती कमलेश देवी पत्नी सुग्रीव सिंह निवासी 89/15 पीले क्वार्टर लोहियानगर गाजियाबाद को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारकर जंगल में फेंक दिया गया है जिसपर थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना करने वाले अज्ञात व्यक्तियों की तलाश, एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त 1.निखिल शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा 2.गोपाल सिंह पुत्र सोनपाल सिंह के नाम प्रकाश में आये जिनकी तलाश हेतु टीम का गठन किया गया सर्विलांस, व मुखविर की सूचना पर अभियुक्त निखिल शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा 2.गोपाल सिंह पुत्र सोनपाल सिंह को शिव शक्ति मंदिर लाल क्वाटर लोहिया नगर गाजियाबाद के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन सैमसंग सहित गिरफ्तार किया गया तथा 01 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी व मृतिका का मोबाइल फोन बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्त निखिल ने बताया कि साहब कमलेश मेरा यहाँ पर करीब 02 साल से झाडू पोछा का काम करती थी। मैने कमलेश को तीन लाख रूपये उधार दे रखे थे। वापस काफी समय बीत जाने के बाद भी ना तो मेरा पैसा वापस दिया और ना ही मुझे अपना मकान दिया। बल्कि उल्टा मुझे झूठे केस मे फंसा कर जेल भेजने की धमकी देती थी। जब मुझे अपना पैसा वापस मिलने की कोई उम्मीद नही रही तो मैने अपने जिगरी दोस्त गोपाल के साथ मिलकर कमलेश की हत्या करने की योजना बनाई। दिनांक 23.02.2024 को समय करीब 8 बजे शाम कमलेश को प्लाट दिखाने के बहाने से बहकाकर उसे अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर अपने साथ मोरटा की तरफ ले गये, जो हमने पहले से ही मारकर लाश फैंकने के लिये जगह देख रखी थी हम दोनो ने मिलकर कमलेश की शाल से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर उसके शव को वही छिपाकर घर वापस आते समय मृतका कमलेश का मोबाइल फोन को हमने तोड कर मेरठ रोड पर नाले मे फैक दिया था। और हम शिमला निकल गये थे। दिनांक 28.02.2024 को हम लोग वापस गाजियाबाद आ गये थे। कल मुझे जब पता चला कि कमलेश की बाँडी पुलिस ने ढूँढ ली है। तो कल फिर से मै, गोपाल को साथ लेकर शहर छोडकर बाहर जा रहा था कि आपने पकड लिया। मोटर साइकिल व स्कूटी और मृतका का फोन हमने बरामद करा दिया है।

अभियुक्त गोपाल सिंह ने पूछने पर बताया कि साहब मैं बचपन से ही लोहिया नगर मे अपने परिवार के साथ किराये पर रहता था तो निखिल से मेरी बचपन से ही पक्की दोस्ती है। निखिल ने कुछ दिन पहले मुझे बताया कि कमलेश आंटी जो हमारे यहाँ झाडू पोछा का काम करती थी उन्होने 03 लाख रुपये लिये थे। जो वापस नही कर रही थी और उल्टा केस में फराने की धमकी दे रही थी इसलिये हमने उसे मारने की एक प्लानिंग करके दिनांक 23.02.2024 को निखिल ने कमलेश को फोन करके प्लाट दिखाने के बहाने साथ लेकर मोरटा में जंगल की तरफ ले गये। फिर हम दोनो ने मिलकर कमलेश को उसी की शाल से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। और उसके शव को वही छिपाकर घर वापस आते समय मृतका कमलेश का मोबाइल फोन को हमने तोड कर मेरठ रोड पर HP पैट्रोल पम्प के सामने बने नाले मे फेक दिया था और शिमला चले गये। दिनांक 28.02.2024 को वापस आये तो पता चला कि पुलिस ने कमलेश की लाश को ढूढँ लिया है। तो हम डर गये और आज फिर हम शहर छोडकर जाने वाले थे। कि पुलिस ने पकड लिया हमने घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्कूटी व मृतका का मोबाइल पुलिस को बरामद करा दिया है।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.मोबाईल फोन सैमसंग रंग आसमानी (घटना में प्रयुक्त)

2.मोटर साइकिल होन्डा साइन

3. होन्डा एक्टिवा स्कूटी

4.मृतका का मोबाइल

नाम पता अभियुक्तगण

1.निखिल शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा निवासी शिव चंडी मंदिर लाल क्वार्टर लोहियानगर गा0बाद ,

2.गोपाल सिंह पुत्र सोनपाल सिंह निवासी गिरधरपुर सुनारसी छपरौला थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम